



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-31012023-243310
CG-RJ-E-31012023-243310

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443]
No. 443]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2023/माघ 11, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2023/MAGHA 11, 1944

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 20 जनवरी, 2023

का. आ. 458(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) जिले के संबंध में राजस्थान राज्य में सवाई माधोपुर बाईपास लाइन कि विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला
1	2	3
1	उप खण्ड अधिकारी, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
2	उप खण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाडा	सवाई माधोपुर

[फा. सं. DY.CE/C/JP/543379761]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railways (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 20th January, 2023

S.O. 458(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the special railway project of Sawai Madhopur Bypass Line in the State of Rajasthan relating to District mentioned in Column relating to the district mentioned in column(3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance , management and operation.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	District
1	2	3
1	Sub Divisional Officer, Sawai Madhopur	Sawai Madhopur
2	Sub Divisional Officer, Chauth ka Barwara	Sawai Madhopur

[F.No. DY.CE/C/JP/543379761]

VED PRAKASH, Chief Administrative Officer (Construction)